समाचार-प्रकाशनार्थ:-

लोक अदालत में बकायादारों ने संपत्तिकर व जलकर की बकाया रा श जमा कराकर अ धभार रा श में छूट का लाभ लया

बकाया के रूप में संपत्तिकर 35 लाख व जलकर 12 लाख जमा हुए

निगम को 47 लाख की रा श बकाया के रूप में प्राप्त हुई

89 हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये

रतलाम 10 जुलाई। राष्ट्रीय व धक सेवा प्रा धकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अ धभार (सरचार्ज) में छूट देने हेतु 10 जुलाई शनिवार को एक दिवसीय नेशनल लोक अदालत में नागरिकों ने संपत्तिकर एवं जलकर की बकाया रा श जमा कराकर दी जा रही अ धभार (सरचार्ज) रा श में छूट का लाभ लया।

नेशनल लोक अदालत के तहत जिला न्यायालय में आयोजित संपत्तिकरए जलकर श वर के साथ आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार आयोजित कये गये श वर का अवलोकन निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने जिला एवं सत्र न्यायाधीशए उपायुक्त श्री वकास सोलंकीए प्रभारी कार्यपालन यंत्री श्री सत्यप्रकाश आचार्यए श्री एम.के. जैनए स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संह आदि के साथ कर बकाया रा श जमा करने व आयुष्मान कार्ड बनाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

आज नेशनल लोक अदालत के तहत जिला न्यायालय व जलकर काउन्टर के बाहर आयोजित श वर व नगर निगम कार्यालय में बकायादारों ने 220 प्रकरणों के तहत संपत्तिकर के 35 लाख रूपये तथा 516 प्रकरणों के तहत जलप्रदाय के 12 लाख 14 हजार 8 सौ 40 रूपये कुल रा श 45 लाख 14 हजार 8 सौ 40 रूपये जमा कराकर अ धभार (सरचार्ज) की रा श में छूट का लाभ लया।

आयुष्मान भारत ष्निरामयम’ ’ योजना अन्तर्गत रतलाम नगर के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के अ धक से अ धक निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाये

जाने के तहत जिला न्यायालय परिसर में आयोजित वशेष श वर में 89 पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये गये।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशन में अर्जुन नगर भू म का सीमांकन

रतलाम 10 जुलाई। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम के निर्देशानुसार नगर निगम वकास शाखा की स्वीकृत योजना की भू म व शासकीय भू म के सीमांकन का कार्य निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में कलेक्टर कार्यालय के राजस्व वभाग व निगम इंजीनियरों के द्वारा कया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने मौके पर भू म के नक्शे का अवलोकन कर सीमांकन का कार्य प्रारंभ करवाया साथ ही भू म पर एकत्रित म ी को समतलीकरण करवाने के साथ ही ईंट के भ` की अन्य सामग्री को हटवाया। उन्होने निर्दे शत कया क सीमांकन का कार्य निरंतर जारी रखा जाये तथा पोल लगाने व ग्रीन नेट लगाने का कार्य प्रारंभ कया जाये पुरी तरह से सीमांकन के बाद तार फे संग का कार्य कया जाये।

ज्ञातव्य है क दिसम्बर 2020 में अर्जून नगर में नगर निगम वकास शाखा की भू म पर कये गये अतिक्रमण को हटाकर भू म को कब्जे में लेने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन मे की गई थी। उक्त भू म 1982 में नगर निगम वकास शाखा की स्वीकृत योजना का हिस्सा है जिस पर कये गये अतिक्रमण को हटाकर निगम द्वारा कब्जे में लया गया था।

इस अवसर पर कार्यपालन यंत्री सर्वश्री सुरेशचन्द्र व्यासए जी.के. जायसवालए एम.के. जैनए सत्यप्रकाश आचार्यए उपयंत्री श्री वकास मरकामए सुश्री दीक्षा निजामपुरकरए राजस्व निरीक्षक श्री मेहरबान संहए पटवारी श्री अर्जून संह आदि उपस्थित थे।

नागरिक व दुकानदार को वड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 10 जुलाई। कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु को वड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य कया गया है। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मा लकों से अपील की है क सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डस्टें संग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अ धक लोग इक` नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

खुले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर 8 व्यक्तियों पर जुर्माना

गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 10 जुलाई । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो क खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु स्पॉट फाईन दल द्वारा संबं धतों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 10 जुलाई को 8 व्यक्तियों पर जुर्माना कया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्पॉट फाईन दल द्वारा खुले में गंदगी करने पर अंसारी कृ ष उपज मण्डी पर 3000ए राठौर रेस्टोरेंट कृ ष उपज मण्डी पर 2000ए राज कार डेकोर महू रोड पर 1000ए रामप्रसादए रेखाबाईए उमर संहए भरगटजीए गीताबाई चांदनी चौक पर 100.100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भ वष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी। नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी स्पॉट फाईन दल के मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्दे मो.नं. 9424075393ए 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110ए राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

सफाई कार्य में अब दिखने लगा है सुधार

कार्य के फोटो व्हाट्स एप डालने का हुआ असर

रतलाम 10 जुलाई । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर की सफाई व्यवस्था में ओर अ धक सुधार लाये जाने हेतु प्रत्येक वार्ड में सफाई कर्मचारियों के फ्लेक्स लगाने व कार्य की फोटो व्हाट्स एप डालने से अब प्रातःकाल से साथ-साथ दोपहर पश्चात भी कर्मचारियों द्वारा सफाई का कार्य मुस्तैदी से कया जा रहा है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार सफाई व्यवस्था को ओर अ धक सुदृढ बनाये जाने हेतु प्रत्येक वार्ड में सफाई संरक्षकए वार्ड दरोगाए झोन प्रभारी व स्वास्थ्य अ धकारी के नामए मोबाईल नम्बर का फ्लेक्स लगाया गया साथ ही कये गये कार्य के फोटो प्रतिदिन व्हाट्स एप ग्रुप में डालने के निर्देश के तहत सफाई कार्य में सुधार आया है। नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने में नागरिक भी सहयोग करें ता क स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में रतलाम नगर स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बन सकें।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने झोन प्रभारी एवं वार्ड दरोगा को निर्दे शत कया है क वार्डो में सफाई संरक्षकों द्वारा प्रतिदिन कये जा रहे कार्यो की फोटो पृथक-पृथक शफ्टों में अनिवार्य रूप से व्हाट्स एप ग्रुप ष्मैं बनाऊंगा रतलाम नम्बर 1ष में भेजंे फोटो के आधार पर ही संबं धत कर्मचारी का वेतन भुगतान कया जायेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने झोन प्रभारी व वार्ड दरोगाओं को निर्दे शत कया क वार्डो में कार्यरत सभी सफाई संरक्षकों की कार्य करते हुए कार्य स्थान के साथ प्रथम शफ्ट में प्रातः 06ः30 व 11ः00 बजे व द् वतीय शफ्ट में दोपहर 02ः30 व सांय 05ः30 बजे व्हाट्स एप पर भेजे। फोटो के

आधार पर स्थल पर जाकर कार्य का अवलोकन कया जाकर इसी आधार पर कर्मचारियों का वेतन भुगतान कया जायेगा।

इसके अलावा निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर व हैल्परों उपस्थिति दर्ज करने हेतु दोहरी व्यवस्था लागू करते हुए कर्मशाला वभाग के ल पक द्वारा उपस्थिति दर्ज करने के बाद झोन प्रभारियों द्वारा भी अलग रजिस्टर संधारण कर प्रातः 6 बजे एवं दोपहर 2 बजे अपने-अपने वार्डो में कचरा संग्रहण वाहन लेकर जायेंगे व हररोज शाम को 5ः30 बजे वाहन जमा कराते समय वाहन के कुल राउण्ड की इन्ट्री भी की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी दरोगाओं को निर्दे शत कया है क वार्ड के सफाई कर्मचारियों का बीट (कार्यक्षेत्र) की जनकारी प्रस्तुत करें गलत जानकारी देने पर संब धत के वरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

उद्यान वभाग के मा लयों की कार्य करते हुए कार्य स्थान के साथ प्रथम शफ्ट में प्रातः 06ः00 व 11ः00 बजे व द् वतीय शफ्ट में दोपहर 02ः30 व सांय 05ः30 बजे व्हाट्स एप पर भेजे जाने के निर्देश निगम आयुक्त श्री झारिया ने झोन प्रभारी व वार्ड दरोगाओं को दिये। उन्होने निर्दे शत कया क जिस कर्मचारी को जो वार्ड ओर कार्य आवंटित है वहां पर कर्मचारी के नहीं मलने पर सेवा से बर्खास्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन कया जा रहा है वजन

10 जुलाई को 78 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 10 जुलाई । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित कया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-ना लयों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन कया जाकर

जुलवानिया टे॰ चंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 10 जुलाई शनिवार को 78 टन कचरा जुलवानिया टे॰ चंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया। 10 जुलाई शनिवार को डम्पर व टे॰क्टर ट्रॉली से 42825ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 23650ए काम्पेक्टर गीला कचरा 10460 व मैजिक 1225 कलो इस तरह कुल 78160 कलो कचरा जुलवानिया टे॰ चंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

1061 मवे शयों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

रतलाम 10 जुलाई । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवे शयों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवे शयों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अ भयान चलाया जा रहा है जिसके तहत 10 जुलाई तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 1061 मवे शयों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अ भयान के तहत 10 जुलाई को टीआईटी रोडए गीता मंदिर रोडए बैंक कलोनी आदि क्षेत्रों से 7 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अ भयान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवे शयों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति

के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवे शयों का पालन कया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये 500६ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवे शयों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए0पी0 संह के निर्देशन में स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 10 जुलाई। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्दे शत कया है क वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबं धत झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया यदि कसी भी वार्ड में मक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबं धत कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त कये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्दे शत कया क प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्दे शत कया क दोनो पा लयों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्दे शत कया है क वे प्रतिदिन प्रमा णत करेंगे क उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 10 जुलाई । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निशठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/10ण्07ण्2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.